कार्यालय –जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष कमांक 07868–223679, फैक्स कमांक–07868–241491 ई–मेल–kanker.court@nic.in

//सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

कमांक 234/दो–5–1/2022 कांकेर, दिनांक 04/02/2023

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.02.2023 के कार्यालयीन कार्य दिवस में 5.00 बजे तक

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर का ज्ञापन कमांक 2062/दो–5–1/2022 कांकेर दिनांक 01.11.2022 के अनुसार जिला न्यायालय स्थापना के अंतर्गत कलेक्टर दर पर आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले निम्नांकित कर्मचारियों (चौकीदार एवं स्वीपर) के कुल 05 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के ज्ञापन कमांक 5075/1362/21–ब/छ.ग./2022 रायपुर दिनांक 12.05.2022 के द्वारा 03 पद चौकीदार एवं 02 पद स्वीपर के रिक्त पदों की भर्ती किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप छ.ग. राज्य के अंतर्गत आने वाले जिलों के मूल निवासियों को भर्ती किये जाने की प्रकिया विधि अनुसार निम्नानुसार वर्गवार के आधार पर किया जाना है।

<u>रिक्त पदों का विवरण :–</u>

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
							अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति			
			मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	कंटीन्जेंट कर्मचारी(आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी)																	
1	चौकीदार	03	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	स्वीपर	02	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	05	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0

शैक्षणिक योग्यता :–

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **<u>न्यूनतम कक्षा–5 वी की परीक्षा उत्तीर्ण एवं अधिकतम 10 वी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है</u>** सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

नोट :–

- आवेदक यदि कोई विशेष योग्यता रखतें हैं जैसे (वाहन चालक, माली, ईलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कुक) तो आवेदन पत्र के साथ उन्हें विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा ।
- आवेदन पत्र उचित रूप से पाये जाने मात्र से आवेदक कौशल परीक्षा के लिये आहूत किये जाने का पात्र नहीं होगा । आवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदन पत्रो की संख्या को देखते हुए आवेदक द्वारा पांचवी कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जायेगी और उक्त सूची के आधार पर रिक्त पद से 10 गुणा उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। इस संबंध में सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कांकेर के द्वारा कौशल परीक्षा के लिए पात्रता निर्धारण हेतु नियम/प्रकिया आवश्यकता होने पर विहित की जा सकेगी एवं तत्संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कांकेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

वेतनमान:– कांकेर जिले में लागू कलेक्टर दर के अनुसार देय ।

<u>शर्तें :–</u>

1– **आयु एवं पात्रता :–**आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए । प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगें जिनकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं निशक्तजनों को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छुट की पात्रता होगी :–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष ।
- महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष ।
- स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छुट के अतिरिक्त 05 वर्ष परंतु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हों।

2– आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पुरा नाम व पूर्ण पता लिखे हुए दो खुले लिफाफे प्रत्येक पर 5/– रूपये का डाक टिकिट चस्पा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि आवेदक द्वारा टिकिट चस्पा किया लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी स्वयं की होगी।

एक से अधिक पदों पर आवेदन करने की दशा मे पृथक–पृथक आवेदन भरकर जमा करना होगा।

3– आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हे अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा ।

4– आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन कमांक –एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

5– किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

6– एक से अधिक पति/पत्नी न हो, अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे ।

7– आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

8– जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो,जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो,नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

9– वह किसी नैतिक दृष्टता हेतु अपराधी न ठहराया गया हो या किसी न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो।

10– आवेदन पत्र प्राप्त होने के अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता/करती हो।

11– बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे तथा प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।

12– टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार स्वप्रमाणित समस्त शैंक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाणपत्र से संबंधित दस्तावेज (यथा–जन्म/आयु प्रमाण पत्र,कक्षा–5 वीं प्रमाण पत्र),जाति, निवास एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **"आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र"** लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तर बस्तर कांकेर को संबोधित करते हुये प्रस्तुत किये जाने चाहिये। उक्त आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि **–28 फरवरी 2023 को संध्या 5:00 बजे** तक स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर मे रखे बॉक्स में जमा किये जा सकते हैं। स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

13– किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिये कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

14– कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

15– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने पर उनकी सेवाएं एक माह की सूचना पर से समाप्त की जा सकेंगी। अभ्यर्थी यदि सेवां छोड़ना चाहे तो एक माह की सूचना एक माह का वेतन का भुगतान कर सेवा छोड़ सकेगा।

16– यह विज्ञप्ति बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

17– प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

18– आवेदनों की छटाई के पश्चात् आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर,नाम,पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची कौशल परीक्षा की तिथि,समय व स्थान की जानकारी जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर के वेबसाईट http://ecourts. gov.in/kanker तथा kanker.gov.in/district_court पर अपलोड किया जावेगा साथ ही **आवेदकों/ उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र आवेदन पत्र में उनके द्वारा दिये गये पते पर भेजा जावेगा। कौशल परीक्षा हेतु नियत तिथि पर आवेदक/उम्मीदवार अपने आई.डी.प्रुफ (पहचान पत्र) यथा–ड्रायविंग लाईसेंस/वोटर आई.डी./आधार कार्ड/बैंक पास बुक/पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थित रहें।**

19– जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं कौशल परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य होने पर ही अभ्यर्थी उपरोक्त पद हेतु आवेदन करें। संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय के वेबसाईट http://ecourts.gov.in/kanker तथा kanker.gov.in/district_court पर उपलब्ध है तथा साक्षात्कार हेतु उपयुक्त,अनुपयुक्त उम्मीदवारों की सूची व कौशल परीक्षा की तिथि, समय व स्थान की सूचना जिला न्यायालय के वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्यक्ष,
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उत्तर बस्तर (छ0ग0)

आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद हेतु
(चौकीदार/स्वीपर के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

पासपोर्ट साईज का फोटो जो कि स्वप्रमाणित हो द्वारा अभिप्रमाणित हो

1— आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी मे) ____________________

2— आवेदक का पूरा नाम ____________________
(अंग्रेजी के केपीटल लेटर में)

3— पिता/ पति का पूरा नाम ____________________

4— जन्मतिथि (अ) अको में ———— (ब) शब्दो में ____________________

5— आयु (01—01—2023 की स्थिति में) ____________________

6— लिंग (पुरूष/महिला) ____________________

7— क्या आवेदक छत्तीसगढ का मूल निवासी है ; हॉं /नही ____________________

(यदि हॉं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

8— शैक्षणिक योग्यता (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें) —

क्र0	**कक्षा का नाम**	**बोर्ड / वि0वि0 का नाम**	**वर्ष**	**प्रतिशत**
1				
2				

9— अनुभव यदि कोई हो तो— ____________________

10— वर्ग जो लागू हो

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	सामान्य

(स्वप्रमाणित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11— यदि निशक्त हो तो—निशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत————————————
(स्वप्रमाणित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निशक्तता प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12— क्या आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है—

हॉं/नहीं ————————(यदि हां तो स्पष्ट विवरण दें)

13— क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है।

हॉं/नहीं ————————(यदि हां तो स्पष्ट विवरण दें)

14— क्या आवेदक को किसी न्यायालय/सघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया है:—

हॉं / नहीं ——————(यदि हां तो स्पष्ट विवरण दें)

15— पत्र व्यवहार का पता ________________________

____

____

16— स्थायी पता ________________________

____

____

17 आयु सीमा में छूट चाहते हो. हॉं / नही ________________________

यदि चाहते है तो छूट का आधार लिखे (प्रमाणपत्र संलग्न करे)

18— यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि ________________________

19— जीवित बच्चो की संख्या —

कमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि

21— आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे दस्तावेजो का विवरण :—

1— 2—

3— 4—

5— 6—

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणापत्र

मै एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूॅं कि मैने विज्ञापित पात्रता शर्तो को ध्यान से पढा है इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न सभी अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा आवेदित पद के लिये मै निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूॅं । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / अपूर्ण पाई जाती है या यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा तथ्यो को छिपाया गया है तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जावेगें।

स्थान
दिनॉंक

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम एवं पता)